मेरठ विकास प्राधिकरण

की

13वीं बोर्ड बैठक

दिनाँक 27—12—79

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 27-12-79 की कार्यवाही का विवरण

स्थान : मेरठ विकास प्राधिकरण, कार्यालय- 149-साकेत, मेरठ ।
समय : प्रातः 10-00 बजे ।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1-	श्री ए०पी०सिंह	जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
2-	श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव, उ०प्र०शासन	सदस्य
3-	श्री आर०के०सिंह	प्रशासक नगरपालिका, मेरठ ।	सदस्य
4-	श्री एस०सी०गुप्ता	अधि०अभि०, जलनिगम	सदस्य
5-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	सदस्य

मद संख्या -1

पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि ।

पिछली बैठक दिनाँक 4-12-79 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी ।

मद संख्या-2

पिछली बैठक में निर्देशित मामलों में प्रगति ।

पिछली बैठक में निर्देशित मामलों की प्रगति आख्या अवलोकित की गयी ।

मद संख्या -3

अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव ।

प्राधिकरण द्वारा 12 अनाधिकृत कालोनियों यथा- 1-शिवशक्ति नगर, 2- गुरुनानक नगर, 3- गौतम नगर, 4- गणेशपुरा, 5-मधुबन कालोनी,

6-महावीर जी नगर भाग-1, 7- महावीर जी नगर भाग-2, 8- पंचशील कालोनी, 9- श्याम नगर, 10- न्यू प्रभात नगर, 11-आर्य नगर तथा 12- नेताजी नगर को सिद्धान्त रुप से नियमित करना स्वीकृत किया गया । अनाधिकृत कालोनी के तलपट मानचित्र स्वीकृत करने के लिये एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य निम्नलिखित है:-

1- आर्कीटैक्ट प्लानर, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
2- सहयुक्त नियोजक, मेरठ ।
3- अधिशासी अभियन्ता, आवास विकास परिषद ।

उपरोक्त समिति अनाधिकृत कालोनियों के तलपट मानचित्रों को तकनीकी दृष्टि से अन्तिम रुप देगी एवं उपयोग परिवर्तन सम्बन्धित आपत्तियों को, यदि कोई हों सुनने के उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी । इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश दिये गये ।

उपरोक्त कार्यवाही दिनाँक 30-7-79 में सैद्धान्तिक रुप से स्वीकृत की गयी पाँच कालोनियों - अजन्ता कालोनी, दशमेश नगर, रामबाग कालोनी, इन्द्रा नगर व नेहरु नगर में भी करने का आदेश दिया गया ।

मद संख्या-4

विकास शुल्क की नई दरों के सम्बन्ध में ।

यथा प्रस्तावित स्वीकृत । इन दरों को औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनाँक 1-1-80 से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या -5

समायोजन शुल्क में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

अनाधिकृत कालोनियों में समायोजन शुल्क यथा प्रस्तावित दर निम्न निर्देशों के साथ स्वीकृत की गयी :-

1- यह दरें उन्हीं कालोनियों के लिये लागू होंगे जो महायोजना के नोटिफिकेशन की दिनाँक अर्थात दिनाँक 12-4-78 से पूर्व विकसित हो चुका हों और जिन्हें प्राधिकरण द्वारा नियमित घोषित किया जा चुका है ।

2- उपरोक्त कालोनियों में दिनाँक 12-4-78 के बाद होने वाले अनाधिकृत निर्माण पर समयोजन शुल्क की दरें सामान्य रुप से ही लागू होंगी।

समायोजन शुल्क में अध्यक्ष महोदय को छूट देने का अधिकार भी यथा प्रस्तावित स्वीकृत किया गया।

मद संख्या-6

साकेत सुधार योजना।

इस सुझाव के साथ यथा प्रस्तावित स्वीकृत किया गया कि प्राधिकरण द्वारा इसमें भी 10 प्रतिशत सेनेट्री चार्ज लिया जायेगा।

मद संख्या-7

प्राधिकरण में कंस्ट्रक्शन डिवीजन स्थापित करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा कंस्ट्रक्शन डिवीजन स्थापित करना स्वीकार किया गया।

मद संख्या-8

सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के ले-आउट प्लान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

यथा प्रस्तावित स्वीकृत।

मद संख्या-9

प्राधिकरण के बायलाज की स्वीकृति।

प्रस्ताव दिनाँक 1-1-80 से यथा प्रस्तावित स्वीकृत किया गया।

मद संख्या-10

अनाधिकृत निर्माण को रोकने एवं गिराने के लिये वाहन की व्यवस्था।

यथा प्रस्तावित स्वीकृत।

मद संख्या-11

उप- सचिव के पद के गठन के सम्बन्ध में

उप-सचिव के पद का सृजन करना स्वीकृत किया गया, इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया कि उप-सचिव द्वारा कम से कम 200 वादों का निस्तारण प्रतिमाह किया जाये ।

मद संख्या-12

प्राधिकरण के कार्यालय भवन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण कार्यालय हेतु नगरपालिका मेरठ द्वारा टाऊन हाल प्रांगण में बनाये जा रहे भवन में से स्थान किराये पर लेने का प्रस्ताव आज अनुमोदित किया गया । नगरपालिका के इस हाल को दिनाँक 1-10-80 तक तैयार कराकर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है । चूँकि वह भवन का निर्माण प्राधिकरण के लिये ही उनके निर्देशानुसार करेंगे, इसलिए भवन के मूल्य का भुगतान उन्हें इस शर्त पर करने का अनुमोदन किया गया कि भवन पूरा करने तक उन्हें दी गयी धनराशि पर ब्याज देना पडेगा । ब्याज की दर शासन द्वारा निर्धारित 12-1/2 प्रतिशत और भवन 1-1-80 तक दे देने पर उसमें 3-1/2 प्रतिशत छूट दी जायेगी । बिलम्ब होने की दशा में यह छूट उपलब्ध नहीं होगी । नगरपालिका द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण से वे मूल्य वास्तविक लागत के आधार पर बगैर कोई लाभांश लगाये लेंगे ।

मद संख्या - 13

मित्र लोक, बसंत बिहार एवं नवयुग हाऊसिंग सोसायटी के सम्बन्ध में।

(1) मित्रलोक सहकारी सोसायटी

इस सोसायटी की भूमि का भूउपयोग परिवर्तन सहयुक्त नियोजक की आपत्तियों के कारण अस्वीकार किया गया ।

(2) बसन्त बिहार एवं नवयुग हाऊसिंग सोसायटी

भूउपयोग परिवर्तन क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए अस्वीकृत किया गया ।

मद संख्या - 14

प्राधिकरण के ड्राफटसमैन एवं आशुलिपिक के वेतनमान में संशोधन।

ड्राफ्टसमैन व आशुलिपिक के संशोधित वेतनमान दिनाँक 1-1-80 से स्वीकृत किये गये ।

मद संख्या - 15

नगरपालिका, प्रादेशित कोआपरेटिव डेरी फैडरेशन आदि के निर्माण कार्य को प्राधिकरण द्वारा सेनटेज चार्ज लेकर कराये जाने का प्रस्ताव।

यथा प्रस्तावित स्वीकृत ।

मद संख्या - 16

अनाधिकृत निर्माण को गिराने में हुए व्यय की पूर्ति के लिये दर का निर्धारण।

यथा प्रस्तावित स्वीकृत ।

मद संख्या-17

नगर सुधार एवं विकास महासमिति, मेरठ तथा नगर के कालोनी निवासियों द्वारा दिये गये ज्ञापन पर चर्चा।

इस प्रस्ताव को आगामी बैठक के लिये स्थगित किया गया ।

मद संख्या-18

अन्य बिषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए ओ०वाई०टी० योजना के अन्तर्गत दो टेलीफोन लेने की

कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये, क्योंकि इनके मिलने में 6 माह से एक बर्ष का समय लग रहा है। भविष्य में उप-सचिव के पद के सृजन एवं कंस्ट्रक्शन डिवीजन स्थापित होने के कारण इसकी आवश्यकता होगी।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।	मेरठ।	मेरठ।